पत्रांक
[handwritten marginal note, partially legible]

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 156A/2017-18

1. दुर्गा हेम्ब्रम 2. बुधराम हेम्ब्रम **बनाम** राईसुनी बोदरा

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 996 दिनांक 21.12.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 156A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. दुर्गा हेम्ब्रम 2. बुधराम हेम्ब्रम दोनों के पिता स्व0 सानगी हो उर्फ संधी हेम्ब्रम ग्राम–उलीडीह, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने मकान मरम्मति हेतु क्रेता राईसुनी बोदरा, पति श्री राजेश बोदरा, ग्राम–बान्दुआ, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बान्दुआ	371	181	778	3 डी0
			779	20 डी0
				कुल–23डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेताओं के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेताओं अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदकों के हिस्से में 3.33 एकड़ जमीन है, जिसमें से 23 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.10 एकड़ भूमि बचती है, जो प्रति आवेदक के हिस्से में 1.55 एकड़ होता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'हो' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में 23 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

06/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner